<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>01.10.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत ने 26/09/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कमलेश जरीवाला और अन्य (कुल 5 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया) के खिलाफ मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने डी.सी.बी पुलिस स्टेशन, सूरत पुलिस द्वारा कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश के लिए अपराध करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला है कि कमलेश जरीवाला उर्फ हरीश चौधरी और रुशिकेश अधिकार शिंदे ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी फर्मों के नाम पर डमी बैंक खाते खोले और इन बैंक खातों को अपने साथियों को मुहैया कराया, जिन्होंने इन डमी बैंक खातों का इस्तेमाल सीबीटीएफ247.कॉम और टी20एक्सचेंज.कॉम की सट्टेबाजी वेबसाइटों से सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अवैध सट्टेबाजी आय प्राप्त करने के लिए किया।

जाँच के दौरान, ईडी ने अप्रैल 2023 में तलाशी अभियान चलाया और 92 डमी बैंक खातों में रखी गई 5.67 करोड़ रुपये की राशि को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।